

कार्यालय:-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा, (म0प्र०)

क्रमांक 279 /दो-11-01/2004(भाग-2),

आ दे श

रीवा, दिनांक 08 अप्रैल, 2024

वर्तमान में न्यायिक स्थापना रीवा में तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की अत्यधिक कमी एवं प्रशासकीय कार्य की सुविधा की दृष्टि से संबंधित कर्मचारियों की आपसी सहमति तथा समिति के प्रतिवेदन दिनांक 08.04.2024 की अनुशंसा के आधार पर निम्नलिखित **तृतीय श्रेणी कर्मचारियों** का स्थानांतरण कर आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थि किया जाता है:-

क्र.	नाम कर्मचारी	कहां से	कहां को	रिमार्क
1	श्री नागेन्द्र साकेत, स0ग्रे0-2	आदेशिका लेखक, तलबाना अनुभाग, सिरमौर, जिला रीवा	निष्पादन लिपिक, न्यायालय तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सिरमौर (श्री अमित कुमार शर्मा) के न्यायालय में	श्री ध्रुव खरे के स्थान पर
2	श्री ध्रुव खरे स0ग्रे0-3	निष्पादन लिपिक, न्यायालय तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सिरमौर (श्री अमित कुमार शर्मा)	आदेशिका लेखक, तलबाना अनुभाग, सिरमौर, जिला रीवा	श्री नागेन्द्र साकेत के स्थान पर

नोट :-1. स्थानांतरित कर्मचारी तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त होकर नवीन पदस्थापना का पदभार ग्रहण करेंगे।


प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा, म0प्र०

पृ. क्रमांक. 180 /
दो-11-01/2004(भाग-2),

रीवा, दिनांक 08 अप्रैल, 2024

प्रतिलिपि:-

1. प्रभारी अधिकारी, तलबाना अनुभाग, सिरमौर, जिला रीवा।
2. न्यायालय-तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सिरमौर, जिला रीवा।
3. कोर्ट मैनेजर, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा।
4. स्टेनो टू मान्नीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा।
की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. संबंधित कर्मचारी की ओर
सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
6. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा की ओर आदेश की प्रति
जिला न्यायालय रीवा की वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
7. डी0एस0ए0 / एस0ए0 कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा की ओर आदेश की प्रति एच.
आर.एम.एस. / इ.आर.पी. साफ्टवेयर में प्रविष्टि किये जाने हेतु प्रेषित।
8. लेखापाल / देयक लिपिक, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा, म0प्र०